फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद

पत्रांक शमन/210/विoप्राo/(भoनिo)/2020 दिनाँक : 19 जुलाई, 2025

अनुज्ञा पत्र

सेवा में,

श्री अमित मित्तल पुत्र श्री मुन्नालाल मित्तल,
निवासी-बी-06, आर्चिड ग्रीन, फिरोजाबाद।

आपके द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र संख्या-210/2020(वाद) के सन्दर्भ में आपके शमन मानचित्र स्थल-खसरा संख्या- 98 मौजा-ढोलपुरा, तहसील व जिला-फिरोजाबाद पर आर्चिड वाउन्टी पर निम्नलिखित शर्तों के साथ उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-32 के अन्तर्गत पूर्व स्वीकृत शमन मानचित्र दिनांक 08.02.2021 को पुनः शमन स्वीकृति दिनांक 26.03.2024 को प्रदान की जाती है। (शमन स्वीकृत मानचित्र संलग्न है) मानचित्र 5 वर्ष की अवधि हेतु वैध है।

1. मानचित्र की स्वीकति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय विभाग अथवा किसी भी व्यक्ति से स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
2. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी उपयोग/प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 के अधीन दण्डनीय है। यदि भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
3. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय माँगा जायेगा, तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
4. जो क्षेत्र/भूमि विकास कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
5. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा, ताकि मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही कराया जायेगा।
6. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
7. प्राधिकरण से भवन पूर्णता प्रमाण प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आक्यूपायी) करेंगे।
8. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकत करने पर मानचित्र निरस्त कराने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है। किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।
9. भूखण्डीय क्षेत्रफल 300 वर्गमी0 से अधिक होने पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग/ग्राउण्ड रिजार्जिंग का कार्य अनिवार्य रूप से निर्माण कराना होगा।
10. स्थल पर भूखण्ड/भवन के साथ स्थित नाली / नाले / ड्रेन को कवर नहीं किया जायेगा।
11. "ताज ट्रेपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियन्त्रण) प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में भवन निर्माणकर्ता अपने निर्माण के समय निर्माण सामग्री से डस्ट को उड़ने से रोकने के लिए स्थल को कवर (ढ़कने) करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।"
12. अग्नि शमन विभाग अन्तिम अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन को अध्यासित (आक्यूपायी) करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
13. निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सोलर वाटर हीटर संयन्त्र की स्थापना करनी होगी।
14. शपथ पत्र के अनुसार अशमनीय भाग को पत्र प्राप्ति के 01 सप्ताह के अन्दर किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में ध्वस्त करना होगा।

सचिव,
फिरो0-शिको0 विकास प्राधिकरण,